न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 71/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/256)

निर्णय दिनांकः— 07-06-2022

1.	शान्ति कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।	
2.	इचरज कंवर पत्नी सोहन सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।	
3.	लिछमण सिंह	पुत्र/पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4.	भीख सिंह	
5.	दिलीप सिंह	
6.	सज्जनकंवर उर्फ कैलाश कंवर	
7.	उच्छब कंवर	
8.	मंगेज कंवर	
9.	धमू कंवर उर्फ धापू कंवर	
10.	गुमानकंवर पत्नी किशन सिंह	पुत्र/पुत्री किशन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
11.	मदन सिंह	
12.	नरपत सिंह	
13.	कमल सिंह	
14.	दलीप सिंह	
15.	सादुल सिंह	
16.	महावीर सिंह	
17.	ओम सिंह	
18.	पप्पुसिंह	
19.	सन्तू कंवर उर्फ सन्तोष कंवर	
20.	चन्दुकंवर उर्फ चन्द्र कंवर	
21.	पूनम सिंह	
22.	जगमाल सिंह	पुत्र/पुत्री प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीपुरा तहसील पूगल
23.	शिव सिंह	
24.	राजूसिंह	
25.	महेन्द्र सिंह	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

26. छगनसिंह
27. किन्नूकंवर
28. छोटूसिंह पुत्र मूणसिंह जाति राजपूत निवासी भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
29. शायरकंवर पत्नी सवाई सिंह
30. बलबीर सिंह
31. किरण कंवर

पुत्र/पुत्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

32. श्रवण सिंह
33. भगवान सिंह

पुत्रगण देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भानीपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 15–02–2021
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 15–02–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत ने विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि को एकतरफा तौर पर आराजी राज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम भानीपुरा तहसील पूगल के खेत खसरा नम्बर 233, 235, 239, 241, 266, 281, 412, 410, 425 व 510 की तादादी 1013 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि जोकि पूर्व में अपीलांट्स के पूर्वज मूण सिंह पुत्र जेठमाल सिंह के नाम से संवत् 2012 से पूर्व की रिकार्डेड कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि के बाबत् सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा वर्ष 1969 में सिलिंग एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया गया तथा कालान्तर में दिनांक 25–02–1971 को अपीलांट्स/उनके पूर्वजों के धारण की भूमि खेत खसरा नम्बर 233, 239, 281, 412, 410 व 510 की कुल 593 बीघा 02 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के पूर्वज मूणसिंह के नाम खातेदारी यथावत रखते हुए शेष रकबा खसरा नम्बर 235, 241, 266 व 425 की 420 बीघा 06 बिस्वा भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। अपीलांट्स के पति व पिता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालस हाजा द्वारा दिनांक 24–06–2013 को अपीलांट्स की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कि वे अपीलांट् को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर सीलिंग नियमों की विवेचना करते हुए आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अदालत मातहत को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 24–06–2013 के अनुसरण में कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया जाना अपरिहार्य था।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 24–06–2013 के अनुसरण में पत्रावली को वर्ष 2015 में पेशी पर लिया गया तथा दिनांक 28–07–2015 की आदेशिका में अभिलिखित किया गया कि प्रार्थीगण भंवरसिंह, प्रेम सिंह आदि के प्रार्थना पत्र पर पेशी पर लिया गया तथा उक्त दिनांक को वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये। इस प्रकार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्वीकृत है कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में पत्रावली को पेशी पर लिया गया। इस प्रकार यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अदालत मातहत को रिमाण्ड आदेशों में अभिलिखित 475 बीघा 09 बिस्वा भूमि के बाबत् ही मूणसिंह के धारण की भूमि जिसके पॉच यूनिट बनते है, को दृष्टिगत् रखते हुए ही आदेश जैर अपील 475 बीघा 09 बिस्वा भूमि की हद तक ही पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विधि विरूद्व तरीके से पूर्व में अर्थात वर्ष 1971 में जो भूमि मूणसिंह की खातेदारी भूमि मानते हुए सिलिंग सीमा की हद तक स्वीकार की गई थी, को भी आदेश जैर अपील के माध्यम से निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की गई है। अदालत मातहत की उपरोक्त व्याख्या रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के प्रारम्भ में ही अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थना पत्र उपनिवेशन तहसीलदार पूगल के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र दिनांक 04–09–1998 को दर्ज रजिस्टर किये जाने का उल्लेख किया गया व प्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिस तलब किये जाने का अभिकथन किया गया। अदालत मातहत के उपरोक्त अभिलिखित कथन पत्रावली के मद्देनजर पुष्टियोग्य कथन नहीं है क्योंकि पत्रावली तहसीलदार पूगल के प्रार्थना पत्र के बजाय न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में पेशी पर लेते हुए वर्ष 2015 में दर्ज रजिस्टर की गई थी। जहॉ तक प्रार्थी को नोटिस दिये जाने का प्रश्न है, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 26–10–2020 से पूर्व ही प्रार्थी भंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में जो अभिकथन किया गया है वह मनमर्जी से वह पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विरूद्व किया गया है। अदालत मातहत द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे बहस में कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते समय ना तो न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना की गई, ना ही अपीलांट्स जोकि मूणसिंह के जायज वारिसान है, के धारण की भूमियों का सिलिंग सीमा के तहत निर्धारण/जॉच ही की गई है। ऐसी स्थिति में जब तक मूणसिंह के जायज वारिसान की जॉच नहीं की जाती तब तक न्यायालय के समक्ष यह तथ्य मौजूद नहीं हो पायेंगे की अपीलांट्स के धारण में सिलिंग सीमा तक कितनी भूमि होती है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश सिलिंग प्रावधानों के विपरीत व माननीय न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में नहीं होने की स्थिति में आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2017 पार्ट II पेज 1047, आरआरटी 2010 पार्ट II पेज 1363, आरआरटी 2009 पार्ट I पेज 139, एआईआर 2010 पेज 2211, सीसीसी 2009 पार्ट II पेज 141, आरआरटी 2016 पार्ट II पेज 1126 व आरआरटी 2020 पार्ट II पेज 791 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–02–2021 के विरूद्व अपील दिनांक 09–11–2021 को पेश की गई है। जोकि विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के लिये पर्याप्त कारण अंकित नहीं किये गये है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद बारह होने से मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सीलिंग प्रावधानों के तहत पारित किया गया आदेश है। अपीलांट्स अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए अपने वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों को साबित नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. हस्तगत् प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट्स द्वारा वर्ष 2013 में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–02–1971 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24–06–2013 को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी, कि मूण सिंह के बालिग पुत्र भंवर सिंह के धारण की भूमि 75 बीघा भूमि जोड़कर 475 बीघा 09 बिस्वा भूमि के बाबत् मूण सिंह के चार पुत्र भवंरसिंह, किशन सिंह, प्रेम सिंह व छोटूसिंह बालिग है इस प्रकार मूणसिंह के धारण की भूमि में 5 यूनिट बनने के कारण अधीनस्थ न्यायालय सिलिंग नियमों की विवेचना करते हुए आदेश पारित करें। अदालत मातहत न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में पत्रावली को पेशी पर लिये जाने के उपरान्त मूणसिंह के एक पुत्र भंवरसिंह को पक्षकार स्थापित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–02–2021 को पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ही भंवरसिंह पुत्र मूणसिंह का स्वर्गवास दिनांक 29–03–2018 को ही हो चुका था। ऐसी स्थिति में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील एक मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 पार्ट II जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Judgment passed against a dead person is without jurisdiction and nullity.

मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित होने के कारण विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश होना साबित है।

प्रकरण में उल्लेखनीय यह है कि अदालत मातहत को उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में 475 बीघा 09 बिस्वा भूमि की हद तक ही मूणसिंह के जायज वारिसान की सीलिंग सीमा को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्धारण/जॉच करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश में वर्णित मूणसिंह के जायज वारिसान की किसी प्रकार से कोई जॉच ही की गई, नाही संवंधित तहसीलदार से मूण सिंह के वारिसान के संवंध में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट ही प्राप्त की गई। अदालत मातहत द्वारा अपने विवेचन में मात्र यह अंकित किया गया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। प्राथी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा संवंधित भूमि को रकबा राज धोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश के अवलोकन से सावित है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपना माईन्ड अप्लाई नहीं किया गया है, मात्र आनन–फानन में प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से आदेश पारित किया जाना प्रथम दृष्टया ही परिलक्षित होता है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से मूणसिंह के धारण की समस्त भूमि अर्थात 1033 वीघा 09 विस्वा भूमि को रकवा राज करने के आदेश प्रदान किये गये है। जवकि अदालत मातहत को रिमाण्ड आदेश दिनांक 24–06–2013 मे वर्णित विवेचन के अनुसार मूणसिंह के वारिसान की जॉच करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा मूणसिंह के धारण की समस्त भूमि को रकवाराज करने के आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किये गये है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में मूण सिंह के वारिसान सीलिंग सीमा की जॉच करने में यदि मूण सिंह के वारिसान के धारण की भूमि अधिक पाई जाती है तो तहसीलदार पृथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है।

इस संवंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2010 पेज 2210 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Constitution of India, Article 226 – Relief – Not claimed – Grant of – Petition challenging allotment of land to respondent – No claim for allotment of land to

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

petitioner made – such unclaimed relief cannot be granted. मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

8. अतः उक्त विवेचना व नजीर के प्रकाश में अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15—02—2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 24—06—2013 के अनुसरण में मूणसिंह के वारिसान की सिलिंग सीमा की हद तक जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 7|6|22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर